कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून
Website-http://pwd.uk.gov.in
E-Mail- eicpwduk@nic.in

पत्रांकः–1099 /10प्रकीर्ण–उत्तराखण्ड/2016 दिनांक 12.09.2016

कार्यालय ज्ञाप

लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन मार्गो में दूर संचार/विद्युत विभाग/जल संस्थान/जल निगम एवं अन्य संस्थान/विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काटने के फलस्वरूप कटिंग चार्जेज की दरें निर्धारित करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड गठन के पश्चात् शा0 सं0 147(1)/III(3)/05–10(सा0)/02, दिनांक 20.06.2005 के द्वारा रोड कटिंग चार्जेज की दरें निर्धारित की गई थी तथा समय–समय पर रोड कटिंग चार्जेज विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग के स्तर पर जारी करने के निर्देश दिये गये थे। तत्पश्चात् शा0 सं0 542/10प्रकीर्ण–उ0/2011 दिनांक 16.05.2011 के द्वारा पुनः रोड कटिंग चार्जेज की दरें निर्धारित की गई थी।

1– लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन मार्गो पर दूरसंचार/विद्युत विभाग/जल निगम/जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा मार्गो को काटकर सीवर लाईन बिछाने/केबिल बिछाने/पाईप लाईन डालने एवं अन्य कार्य सम्पादित किये जाते हैं जिनके फलस्वरूप मार्गों की दशा खराब हो जाती है तथा यातायात में असुविधा के साथ–साथ दुर्घटना की सम्भावना भी बढ़ जाती है। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा यातायात के निर्बाध संचालन एवं दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से भविष्य में लोक निर्माण विभाग की सड़कों में किसी भी विभाग द्वारा सड़क काटकर सीवर लाईन डालने/केबिल बिछाने/पाईप लाईन डालने अथवा अन्य किसी भी कारण से सड़क काटने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भले ही केबिल मार्ग के किनारे डाली जा रही हो। सम्बन्धित विभाग ले आउट प्लान पर लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड को अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजेगा एवं सम्बन्धित खण्ड द्वारा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिनों में एवं अन्य क्षत्रों में अधिकतम 01 माह में कटिंग चार्जेज का बिल दूरसंचार विभाग/जल निगम/जल संस्थान या अन्य सम्बन्धित विभाग को भेज दिया जायेगा तथा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र एक सप्ताह के अन्दर उस पर अनुमति जारी कर दी जायेगी।

2– मैदानी क्षेत्रों में सड़कों के ऐम्बेकमैन्ट के बाहर कच्चे अर्थात लेपित सतह के ऐज से 03 मीटर से अधिक दूरी पर ट्रेंच खोदवार यदि केबिल डाली जाती है और केबिल डालने के बाद ट्रेंच भर दी जाती है तो रोड़ कटिंग चार्जेज में उल्लिखित कच्चे मार्ग हेतु इंगित कटिंग के अनुसार देय होंगे।

3– पर्वतीय मार्गो पर खड्ड साइड में रोड काटकर केबिल डालने की अनुमति नही होगी। यदि किसी कारणवश रोडवे चौड़ाई में ही केबिल/पाईप आदि डालना आवश्यक हो तो हिल साईड के रोड साईड ड्रेन की तली के नीचे कम से कम 75 से.मी. खोदकर डाली जाय, जिस हेतु कटिंग चार्जेज नियमानुसार निर्धारित कच्ची या पक्की नाली के अनुसार देय होंगे।

क्रमशः पेज 2 पर

I.T
Upload करें।
2016
19.2.18
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

4– दूरसंचार विभाग या अन्य विभाग द्वारा मात्र उतनी ही लम्बाई में ट्रैंच खोदी जाय, जितनी लम्बाई केबिल के रोल की है और केबिल में ट्रैंच में डालकर व ट्रैंच भरकर आगे ट्रैंच खोदने की कार्यवाही की जाय जिससे यातायात संचालन में असुविधा न हो। उचित होगा कि एक बार में अधिकतम 200 मी0 लम्बाई में ट्रैंच खोदी जाय व केबिल डालकर व भरकर उसके आगे खुदाई की जाय, खुदाई के स्थान पर चेतावनी के होर्डिंग्स, लाल झण्डी/ट्रैफिक कोन आदि अनिवार्य रूप से लगाने का उत्तरदायित्व खुदाई करने वाले सम्बन्धित विभाग का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना हेतु स्वयं कार्यदायी संस्था (Service Provider) उत्तरदायी होगी। इसका कड़ाई से पालन किया जाय क्योंकि रोड सेफ्टी हेतु आवश्यक है।

5– सीवर लाईन आदि डालने हेतु ट्रेंचेज की खुदाई के दौरान खुदाई का मलवा (Excavated Material) सम्बन्धित एजेन्सी अन्यत्र निस्तारित नही करेगा, अपितु ट्रेंचेज में खुदाई का मलवा (Excavated Material) की फिलिंग 15 से.मी. की लेयरस् में लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप Watering के साथ यांत्रिक (Walk Behind Roller) अथवा मैनुअली (Manuallay) Compacter द्वारा जहां जो प्रयोज्य (Applicable) हो, उचित ढंग से कुटाई का प्रमाण पत्र (D.B.D.) आई.आई.टी. रूड़की द्वारा स्वयं के व्यय पर कराते हुए लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत करना होगा।

ट्रेंचेज के भरान के पश्चात् खोदी गई शेष मिट्टी रोड साईट ड्रेन में व मार्ग पर ढेर (Collected) रूप में न पड़ी रह जाय, अपितु स्थल पर आवश्यकतानुसार पटरी पर उचित रूप से फैला कर उसकी कुटाई सीवर लाईन डालने वाले विभाग द्वारा की जायेगी। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि कार्य समाप्ति के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के फील्ड कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाय तथा इसके उपरान्त ही सम्बन्धित विभाग द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि लौटाई जाय।

6– कटिंग चार्जेज में विश्लेषण हेतु सड़क मरम्मत के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का विवरण एवं मात्राऐं पृष्ठ संख्या–01 से 07 तक संलग्न है।

7– कॉजवे एवं पुल के ऊपर से यूटिलिटी शिफ्टिंग की अनुमति नही होगी बल्कि इसके लिए अलग से Bracket लगाते हुए पुल के बाहर से यूटिलिटी ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

8– सम्बन्धित विभाग/कार्यदायी संस्था द्वारा लेआउट (Layout) प्लान अनुमति के लिये प्रस्तुत करते समय प्रार्थना पत्र में निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए अन्डरटेकिंग दी जाय।

(1) निर्माण कार्य के दौरान यातायात को सुचारू रूप से रखने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

(2) भूमि स्वामित्व (Title of Ownership of Land) लोक निर्माण विभाग का ही रहेगा।

(3) सम्बन्धित विभाग द्वारा किये गये कार्य पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

(4) लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण या अन्य कोई कार्य किये जाने पर यदि केबिल/पाईप आदि की शिफ्टिंग की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित विभाग अपने व्यय पर अपने केबिल/पोल्स/पाईप लाईन आदि की शिफ्टिंग की कार्यवाही करेंगे।

क्रमशः पेज 3 पर

(5) लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग पर कार्य सम्पादन के दौरान यदि केबिल अथवा पाईप लाईन इत्यादि की कोई क्षति पहुँचती है तो लोक निर्माण विभाग इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा तथा न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मुआवजा देय होगा।

(6) ट्रेंच की भराई (Compaction) ठीक न होने के कारण, यदि कोई दुर्घटना घटती है तो इसके लिए सम्बन्धित सर्विस प्रोवाईडर उत्तरदायी होगा।

9– यदि मार्ग पर डाइवर्जन की आवश्यकता पड़े तो वास्तविक व्यय के आधार पर आगणन में अलग प्राविधान किया जाय।

10– यदि सड़क में कहीं लीकेज होते हैं तो जल संस्थान/जल निगम विभाग द्वारा उसे तुरन्त ठीक किया जायेगा तथा लोक निर्माण विभाग की पुनरानुमति की आवश्यकता नही होगी परन्तु सड़क काटने से पूर्व इसकी सूचना लोक निर्माण विभाग को दिये जाने की अनिवार्यता होगी। मरम्मत हेतु सड़क काटने के चार्जेज सम्बन्धित विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को देने होंगे। इस प्रकार Cutting चार्जेज का भुगतान एक माह के अन्दर लोक निर्माण विभाग को किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा भविष्य में प्रश्नगत प्रकरणों में बिना पूर्व भुगतान के Cutting की अनुमति नही होगी।

11– सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं लिए गये कार्य का भुगतान ठेकेदार को वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाय।

12– मेनहोल/इन्सपैक्शन चैम्बर के ढक्कन मार्ग की सतह से ऊपर नही होंगे। अन्यथा दुर्घटना के लिए सम्बन्धित विभाग उत्तरदायी होंगे।

13– यदि सर्विस प्रोवाईडर द्वारा निर्धारित चौड़ाई से अधिक मार्ग को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, तो इस हेतु अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

14– सम्बन्धित विभागों द्वारा स्वयं लिए गये कार्य का भुगतान ठेकेदार को वास्तविक मात्रा के आधार पर किया जाय IRC-98 Final Draft दिनांक 22.04.2011 के पैरा 3.3.3 की संस्तुतियों का पालन किया जाय।

पैरा 3.3.3. "From the above considerations, broad recommendations about the depth of laying (denoting the buttom of the trench) of the various service lines along the road are given below:-

(i)	Trunk sewer line	-	more than 1.5
(ii)	Water supply line		
	Service line	-	0.6 to 1 m
	Trunk line	-	0.6 to 1 m
(iii)	Electric cable		
	LT cable	-	0.6 to 1 m
	HT cable	-	1.5 to 2 m
(iv)	Telecommunication cable		
	Directry laid	-	0.6 to 1 m
	Laid in ducts	-	1 to 2 m

क्रमशः पेज 4 पर